



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1267]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2010/ज्येष्ठ 31, 1932

No. 1267]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2010/JYAISTHA 31, 1932

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2010

का.आ. 1495(अ).—केन्द्रीय सरकार, रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से का.आ. 1490(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2006 में संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“3. श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा —निदेशक (महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय)”

[सं. 40020/20/2007-रसा. I]

एस. सी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2010

S.O. 1495(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the notification *vide* S.O. 1490(E), dated 13th September, 2006 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification, for serial number 3 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

“3. Smt. Vijai Lakshmi Sharma - Director (Director General, Directorate of Revenue Intelligence)”

[No. 40020/20/2007-CH.I]

S.C. GUPTA, Jt. Secy.